कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

शासकीय महाविद्यालय– शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक 2438 दिनांक 9.1.24

प्रति,

डॉ राजेश कुमार तिवारी
पिता श्री. सूर्य नारायण तिवारी

विषय – अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रकिया 2023–2024 के संबंध मे आमंत्रण पत्र विषयक

संदर्भ – कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल का पत्र. क 92/80/आवि/आउशि/2023 भोपाल दिनांक 30–06–2023

पत्र क्र.-01/138/8.1.24 वि.का.अधि. भोपाल

आवेदन कमांक **106108** Date 09-01-2024

विषयान्तर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आपको शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर मे **गणित** विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप मे आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2023–2024 मे अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय मे उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तो के अध्याधीन होगा : –

1. आपको प्रतिदिविस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानो द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त टयूटोरियल, रेमेडियल क्लासेजे आदि मे भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार मे वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वान् का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक **17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार** होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023–24 अर्थात 30 जून 2024 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय मे अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी [illegible]ण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत् न होने के संबध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय मे दिनांक **12–01–2024** तक कार्यालयीन समय मे महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय मे उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन को आदेश कमांक एफ 1–42/2017/38–1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 मे वर्णित नियमों एवं शर्तो के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रकिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

सचिव,
जनभागीदारी समिति

क्रमांक 2439 दिनांक 9.1.24

प्रतिलिपि

1. क्षेत्रीय अति संचा उशि. जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक [illegible] कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

हस्ता/-
सचिव,
जनभागीदारी समिति

-: परिशिष्ट :-

विषय- गणित - 1

क्रमांक	नाम एवं पता तथा जन्म तिथि	पी.एच.डी. एम.फिल.	स्नातकोत्तर में प्राप्तांक	महाविद्यालय का नाम जहाँ पदांकन किया गया है
1	2	3	4	5
	श्रेणी ए-2 एम. फिल/पी.एच.डी.+ स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी			
1-	श्री कृष्ण कान्त शर्मा (21-3-64) द्वारा-श्री बालकृष्ण बुधौलिया एडव्होकेट, नई सड़क ग्वालियर	एम. फिल	667/800	शास0महाविद्या. सबलगढ
2-	श्री अनूप सिंह, (6-5-61) द्वारा-प्रो0व्ही.पी. सक्सेना, गणित जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	एम. फिल	661/800	शास0महाविद्या. सिरोंज
3-	कु0 अशपिन्दर मौज, (18-11-63) 12, सिमको लाइन, बिड़ला नगर, ग्वालियर।	एम. फिल	1719/2000	शास0महाविद्या. बालाजी [illegible]
4-	कु0 सुदिप्ता बागची, (28-9-63) क्वाटर नं. टीबी(6), रेल्वे कालोनी, धनपुरी जिला शहडोल	एम. फिल	637/800	शास0महाविद्या. कन्या बालाघाट
5-	कु0 रमनी राव, (16-9-65) द्वारा-डॉ0पी0एन0राव, रीडर, रसायन विभाग इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर	एम. फिल	626/800	शास0महाविद्या. पन्ना
6-	डॉ0 विकार हुसैन बादशाह, (11-11-52) 43, कमरू बाग, कालिया दा गेट, उज्जैन.	पी-एच-डी	1406/1800	शास0महाविद्या. रामपुरा
7-	डॉ0 राजेश कुमार तिवारी, (6-6-61) 2176, राइट टाउन, हवादार चौक, जबलपुर।	पी-एच-डी	624/800	शास0महाविद्या. देवरी

[signature]

AWADHESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA(M.P.)

No Acad./Shodh/2003/2723

Dated 24.10.2003

NOTIFICATION

As per Ordinance No. 30 and in exercise of the powers conferred under Section 15(4) of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 the Honourable Vice-Chancellor has been pleased to APPROVE the REPORTS OF EXAMINERS of the following THESES on behalf of the EXECUTIVE COUNCIL for AWARD of the Ph.D.DEGREE of the University under the Faculty and guidance as detailed hereunder:-

S. No.	Name of the Candidates	Regist-ration No.	Subject/ Faculty	Title of the Thesis	Name and address of the Supervisor	Date of Viva-Voce	Date of Appro-val.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्रीमती कल्पना मिश्रा	135/93	अर्थशास्त्र/ समाज विज्ञान	"शहडोल जिले में आदिवासियों का आर्थिक विकास"	डा0बी0एस0धुर्वे प्राध्यापक अर्थशास्त्र शास0 महाविद्यालय, शहडोल (म0प्र0)	15.10.03	22.10.03	
2.	Shri Kamaljeet Singh Bhatia	14/99	Mathematics/ Science	"SUMMABILITY OF TRIGONOMETRICAL SERIES BY VARIOUS METHODS"	DR.M.P. Sachan Retd.Principal 12/197,Khutehi, Rewa(M.P.)	15.10.03	22.10.03	
3.	Shri Surya Narayan Sinha	02/99	Sociology/ Social Sc.	"A SOCIOLOGICAL STUDY OF DISPLACED VILLAGERS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE VINDHYANAGAR AREA-DISTRICT SIDHI(M.P.)"	Dr. K.K.Singh Dept.of Sociology 12/763,Bajarang Nagar, Rewa(M.P.)	16.10.03	22.10.03	
4.	कु0 शिखा सिंह	15/99	अर्थशास्त्र/ समाज विज्ञान	"मध्यप्रदेश सरकार की महिला उद्यमिता विकास नीति एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना का महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)"	डा0 (श्रीमती) दीपा श्रीवास्तव, आचार्य व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अ0प्र0सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	15.10.03	29.10.03	

क्रमशः..2

10. डा0 सी0बी0 तिवारी, आचार्य भूगोल, शासकीय टी0आर0एस0 कालेज, रीवा (म0प्र0)
11. The Commissioner, Govt. of M.P. Higher Education, Deptt. 5th Floor, Satpuda Bhawan, Bhopal (M.P.)
12. The Secretary, M.P. Higher Education Deptt.Mantralaya, Vallabh, Bhopal(M.P.)
13. The Registrar, M.P. Universities in India.
14. The Editor, University News, Association of Indian Universities, AIU House, 16,Kotla Marg, New Delhi for publication as news item.
15. The Secretary, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
16. All Head's Administrative Office/UTD's, A.P.S.University, Rewa(M.P.)
17. The Director, Madhya Pradesh Hindi Granth Academy, Ravindra Nath Tagore Marg, Bhopal for publication in the "Rachna".
18. The Secretary to VC/PA to Registrar.
19. The Librarian, University Library, A.P.S.University, Rewa(M.P.)
20. The Editor, Dainik Jagaran, Dainik Alok, Kirtikranti, Kirtiprabha Rewa, Dainik Bhaskar Deshbandhu, Nav Swadesh, Nav Bharat Satna, Dainik Janbodh Shahdol, Nai Duniya Indore, Naveen Duniya Jabalpur, M.P. Chronicle, Bhopal, Samay Sidhi, Nai Duniya, Bhopal through their Rewa Offices for favour of publication as news item.
21. Computer Cell.
22. University Notice Board.
23. Manager, Shree Communication, Rewa(M.P.)

(Ram Darshan Prasad Mishra 'Rahi')
Dy. Registrar(Acad.)

****

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 16 सितंबर, 93

क्रमांक एफ-1/144/93/ए-1/38 (गणित)-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक प्राध्यापक गणित के पद पर वेतनमान रु0 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

क्र0	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहां पदस्थ किया जाता है ।
1.	2.	3.
5	श्री उदय डोलस द्वारा-फ्लेट क्रमांक 31 एम0आई0जी मनोषा मार्केट शाहपुरा भोपाल	शा0महा0सिरोंज (विदिशा) ।
8.	श्री मनोज कुमार मिश्रा द्वारा-शा0बालक उ0मा0वि0बड़वाह जिला खरगोन ।	शा0स्नातकोत्तर महा0 झाबुआ ।
12.	कु0 आराधना शर्मा (अपाती महा0प्रा0) द्वारा-डॉ0 पी0पी0शर्मा 35/ए विद्या नगर बिलासपुर ।	शा0विज्ञान महा0 बिलासपुर ।
16.	श्री गिरिराज किशोर साहू श्याम किराना स्टार्स 717 पुखागढ़ा जबलपुर ।	शा0स्नातकोत्तर महा0 सिवनी ।
20.	डॉ0 राघवेन्द्र सिंह चन्देल (अपाती सहायक प्राध्यापक) ए-35 हाऊसिंग बोर्ड कालोनी कोहे- फिजा भोपाल ।	शा0विज्ञान/वाणिज्य महा0 बेनजीर भोपाल ।
25.	श्री ओंकार लाल श्रीवास्तव सीता कुंज परासिया रोड़ छिंदवाड़ा ।	शा0जुन्नारदेव (छिंदवाड़ा) ।
2[illegible].	कु0 [illegible] क्षीरसागर (अपाती सहायक प्राध्यापक) के-7 एम0आई0जी0ऋषिनगर उज्जैन ।	शा0 कालिदास कन्या महा0उज्जैन ।
34.	श्री दिनेश कुमार मिश्र द्वारा-श्री [illegible] मिश्र ([illegible]) शा0[illegible] जिला गुना ।	शा0महा0निवाड़ी ।
35.	कु0 अनिता शर्मा सी-1/3 रेडियो कालोनी इंदौर	शा0महा0[illegible]घोरा (बिलासपुर) ।
36.	श्रीमती उषा रानी 110 टाईप-3 बी-सेक्टर [illegible]नी बी0एच0ई0एल भोपाल ।	शा0स्नातकोत्तर महा0 सिहोर ।

38. श्री अमरजीत सिंह सलूजा — शा०महा०परासिया (छिंदवाड़ा)
द्वारा-श्री दलजीत सिंह सलूजा
कांजी हाउस के सामने बैतूलगंज
जिला बैतूल ।

43. कु० राजश्री पण्ड्या — शा०महा०आगर (शाजापुर) ।
3, ओसवाल सेरी शुजालपुर ।
जिला शाजापुर ।

47. श्री ओमप्रकाश मिश्र — शा०स्नातकोत्तर महा० पन्ना ।
व्याख्याता गणित शा०उ०मा०
बिजरौन (टीकमगढ़) ।

48. श्रीमती नीना गुप्ता — शा०महा०सनावद (खरगोन) ।
द्वारा-अनिरुद्ध गुप्ता 119, रानी
मंदिर रोड़ बुरहानपुर ।

52. श्री गुरूचरण सिंह सलूजा — शा०महा०कांकेर (बस्तर)
शा०महा०कांकेर (बस्तर) ।
(आपाती महा०प्रा०)

60 श्री कमलजीत सिंह भाटिया — शा०महा०ब्योहारी (शहडोल) ।
एम०आई०जी०58 हाउसिंग बोर्ड
कालोनी वादा बाग रीवा।

63. श्री हितेन्द्र सिंह बाघेला — शा०स्नातकोत्तर महा० झाबुआ ।
357, म०गा०मार्ग अलीराजपुर (झाबुआ)

69. कु० रूपा पाहवा — शा०नवीनकन्या रायपुर ।
(आपाती कार्यरत महा०प्रा०)
क्लाक नं०-23 प्लाट-11 नेहरू नगर
पूर्व भिलाई भिलाई दुर्ग ।

2/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990 के नियम-22 के अनुसार यह नियुक्तियाँ पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगी ।

3/ नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी ।

4/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

5/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

...3

इन अधिकारियों ... लागू सामान्य नियमों, ... 1961 एवं ... के अध्यधीन रहेंगे ।
7/ प्रत्येक ...

6/ इन अधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को अन्तर्गत में लागू सामान्य नियमों, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 के अध्याधीन रहेंगें ।

7/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, एवं साथ छाया प्रतियां सत्यापित करना होगा । सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा ।

8/ यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी है, तथा बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी । इसी प्रकार अधिकारी द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमाकराकर सेवा से त्याग-पत्र दिया जा सकेगा ।

9/ नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों को दिनांक 09 अक्टूबर, 93 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा । शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

16-9-93

(हीरालाल त्रिवेदी)
उप सचिव,
म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ०क्र० एफ-1/144/93/ए-1/38 भोपाल, दिनांक 16 सितंबर, 93

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म०प्र० लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म०प्र० भोपाल ।
3. महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर ।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म०प्र० ।
5. संबंधित प्राचार्य, शा० मह० म०प्र० ।
6. संबंधितगण ।

उप सचिव,
म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नागवंशी/.....

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 18 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 32 /87/स-1/38 - म०प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एक(1) द्वारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक ---------------------- विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर म०प्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रू० 700-40-1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्या में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम.	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
सा०		
1. कु० [illegible] दुबे आ० श्री राजेन्द्रमोहन दुबे. ([illegible])	16.7.1963 जानकारियाँ मूल अभिलेखों से [illegible]	[illegible]

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन; समाधानकार पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की ता से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार गए हैं।

True copy

Library
Govt. Home Scie
Jabalp

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 21/12/2011

क्रमांक एफ् 1–147/2011/38–1 :: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को प्राध्यापक, गणित के पद पर वेतनमान रूपये 37400–67000+10000 में दो वर्ष की परिवीक्षा पर उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :–

स. क्र	चयन सूची क्र.	आवेदक का नाम व पता	श्रेणी	पदस्थ महाविद्यालय का नाम
01	01	श्री अनिल कुमार पाठक एफ–8/23, चार ईमली, भोपाल – 462016 (म.प्र.)	अनारक्षित	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा।
02	02	श्रीमती निधि चौबे, 445–446 संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर	अनारक्षित	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी।
03	03	श्री ऋषि कुमार तिवारी, एफ–24, सिविल लाइन्स, रीवा – 486001 (म.प्र.)	अनारक्षित	शासकीय महाविद्यालय, शहडोल।
04	04	श्रीमती सीमा मिश्रा, 103 'नाइस', रिवेरा टाउन, माता मंदिर के पास, भोपाल – 462003 (म.प्र.)	अनारक्षित	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल।
05	05	डॉ राजेश कुमार शर्मा, 304–बी बरदा विहार, लालाराम नगर, इंदौर–452001 (म.प्र.)	अनारक्षित	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगौन।
06	06	डॉ श्रद्धा दुबे, डी–4,'वनिका' आइ.आइ.एफ.एम. कॉलोनी, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल–462003(म.प्र.)	अनारक्षित	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल।
07	07	डॉ राधे श्याम पाल, सिनियर एम.आई.जी.–423,कटारा हिल्स, भोपाल–462043(म.प्र.)	अनारक्षित	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शुजालपुर जिला शाजापुर।

2/ चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग की चयनि मुख्य सूची के अनुसार रहेगी।

3/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती निय 1990 के नियम 22 के अनुसार यह नियुक्तियां पदभारग्रहण कर के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगी

निरंतर......

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 28 जून, 94

क्रमांक एफ-1/144/93/ए-1/38 (गणित)-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक प्राध्यापक गणित के पद पर वेतनमान रु0 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है ।

क्र0	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहां पदस्थ किया जाता है
70.	श्री आनन्द रणदिवे (आपाती) 2. रघुनाथ पुरा तिलक पथ, धार ।	शा0स्नातकोत्तर महा0धार ।
71.	श्री उमेश चंद राय ग्रा0पो0-खेतीपुर पट्टी तेलमतराय, जिला गाजीपुर (उ0प्र0)	शासकीय महा0पथरिया (दमोह)
72.	श्री विनीत कुमार अग्रवाल म0नं0 164 वार्ड नं0-3 शिवाजी रोड शाह विलयत मेरठ (उ.प्र.)	शा0महा0स्नातकोत्तर रायगढ़ ।
73.	कु0सुषमा शर्मा 101 आराधना नगर के पीछे कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल ।	शा0स्नातकोत्तर महा0रायसेन ।
74.	श्री कमल कुमार वाधवा (आपाती) "सत्यदीप" सदर बाजार (इटारसी रोड) होशंगाबाद	शा0नर्मदा महा0होशंगाबाद ।
75.	श्री योगेश कुमार विजयवार मु0पो0रवारा.पो.मेहरा पिपरिया (होशंगाबाद) ।	शा0स्नातकोत्तर महा0 बालाघाट । (प्राध्यापक पद के विरूद्ध)
76.	श्री विनोद कुमार साहू शा0महामाया उ.मा. शाला पो.पारगढ़ जिला बिलासपुर ।	शा0महा0कवर्धा [राजपुर/ दुर्ग/ गांव]
77.	श्री राकेश तिवारी एम.आई.जी.-1 आगदीनगर (हुडको) म.नं. 264 भिलाई नगर (दुर्ग)	शा0महा0भतरी (रायपुर) ।
78.	श्री पुरूषोत्तम दास गुप्ता अवर वर्ग सहायक सेवायें-4 अनुभाग उ.प्र.लो.से.आ. 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग इलाहाबाद ।	शा0महा0वीरसिंहपुरपाली (शहडोल) ।

.....2

79. श्री कैलाश कुमार देवागंन — शा0महा0अंबागढ़ चौकी (राजनांदगांव) ।
सी./आ. गिरीश जनरल स्टोर्स
गांधी चौक अर्जुन्दा (दुर्ग) ।

81. श्री विजय कुमार खरे — शा0विज्ञान महा0रीवा ।
बनियन टोला बुढ़ार पि0शहडोल — (प्राध्यापक पद के के विरुद्ध)

82. श्री स्वामी स्वरूप श्रीवास्तव — शा0महा0जयसिंहपुर (शहडोल) ।
सी/ओ राम सुचित्र निगम डॉ0
सज्जन सिंह के बंगले के पीछे
अमहिया रीवा ।

83. श्रीमती प्राची सिंह (कु0प्राची भटनागर) — शा0महा0भाटापारा (रायपुर) ।
(सहायक प्राध्यापक)
सी/ओ. श्री डी. एस. भारतराज
शा0दिग्विजय महाविधालय
राजनांदगांव ।

84. श्री विनोद कुमार गुप्ता — शा0महा0बीना (सागर) ।
शा0क. उ. मा. वि. बड़वाह
जिला खरगोन ।

85. कु0 सीमा सिन्हा — शा0महा0बिल्हा (बिलासपुर) ।
कतिया पारा दुर्गा चौक बिलासपुर

86. कु0 मंजू नायक — शा0महा0बेमेतरा (दुर्ग)
सी/ओ. श्री जे. आर. वर्मा पी0डब्लू0
डी. सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर ।

87. श्री सभाकान्त द्विवेदी — शा0महा0सनावद (खरगोन)
ग्रा. पो. रामपुर वाया-नई गढ़ी
मऊगंज रीवा ।

88. श्री माखन सिंह चौहान — शा0विज्ञान महा0बिलासपुर ।
हरनाम पुरा बजरिया घाटीपुर
मुरार ग्वालियर ।

89. श्री भानुप्रताप — शा0विज्ञान महा0रायपुर ।
पो. लक्ष्मणपुर थाना लालगंज
जिला प्रतापगढ़ (उ. प्र.) ।

90. श्री उमाशंकर वाजपेयी — शा0विज्ञान महा0पेंड्रारोड बिलासपुर ।
वाजपेयी भवन नई बस्ती. कटनी

91. श्री वीरेन्द्र कुमार सोनी — शा0स्नातकोत्तर महा0सिवनी
अर्जुन चौक पनागर (जबलपुर) ।

92. श्री रोहित कुमार वर्मा — शा0महा0 पाटन (दुर्ग) ।
ग्रा. पो. लालबहादुर नगर तह0
डोंगरगढ़ वाया-चिचौला जिला
राजनांदगांव ।

93. श्री महेन्द्र प्रसाद — शा0स्नातकोत्तर महा0अंबिकापुर । (सरगुजा)
ग्रा. उफ्लपुरा पो. दोना (हसुआ)
जिला रवादा (बिहार) ।

94. श्री शिवकुमार पाण्डे — शा0महा0खरसिया (रायगढ़) ।
जनकपुर रोड तखतपुर जिला-
बिलासपुर ।

95. श्री महेन्द्र पाल सिंह — शा0महा0सनावद (खरगोन)
लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स
एम-58 दर्पण कालोनी ग्वालियर

96. श्री नवल सिंह — शा0स्नातकोत्तर महा0सीहोर । (प्राध्यापक पद के विरुद्ध)
सी./ओ. श्री अशोक कुमार (साइंस
टीचर) शा0हाईस्कूल बिसरोद भोपाल

2/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 के नियम-22 के अनुसार यह नियुक्तियां पदभारग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परीवीक्षा पर रहेगी ।

3/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

4/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5/ इन अधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 के अध्याधीन रहेगें ।

6/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ छाया प्रतियां सत्यापित करना होगा सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिया जायेगा ।

7/ यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई है तथा बिना कोई कारण बतलायें एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी । इसी प्रकार अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा ।

8/ नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों को दिनांक 28 जुलाई, 1994 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा । शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यार्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

.....4

9/ नवनियुक्त अधिकारियों के परीवीक्षा काल में पदस्थापना में परिवर्तन /स्थानान्तरण का कोई भी प्रयास शासकीय सेवा के अनर्हर ठहराने के लिये पर्याप्त आधार होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

28-6-94

(हीरालाल त्रिवेदी)
उप सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
दूरभाष नं0-556233

पृ0क्र0 एफ-1/144/93/ए-1/38 (गणित) भोपाल, दिनांक 28 जून, 94

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री/प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा ।
2. सचिव, म0प्र0लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0 भोपाल ।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय म0प्र0 ।
5. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर ।
6. संबंधित जिला चिकित्सालय अधिकारी म0प्र0 ।
7. संबंधित कोषालय अधिकारी म0प्र0 ।
8. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0 ।
9. संबंधित प्राचार्य, शा0म0हा0 म0प्र0 यदि नियुक्त स्थान पर पदांकित न हो तो कृपया तुरन्त प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय ।
10. संबंधित अधिकारी म0प्र0 ।

उप सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नागवंशी/,,,,,

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 1-79/2019/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित उम्मीदवार को **गणित विषय** के लिए सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रारम्भिक वेतन रू. 57,700/- के साथ अकादमिक स्तर 10 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थापना देते हुए अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है -

क्रं.	लो.से.आ. की चयन सूची का क्रमांक/ चयन सूची का वर्ष	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय, जहां आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।
1.	100/22	डॉ. कुसुमलता रजक ग्राम आमाडोंगरी, वार्ड नं.4, तहसील निवास, जिला मण्डला	शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर

2. मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990 के नियम-22 के अनुसार ये नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

3. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में नियुक्त उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

4. उपर्युक्त नियुक्ति मेडीकल बोर्ड से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में दी जाती है। मेडीकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।

5. अस्थायी नियुक्ति के दौरान यह सेवा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।

6. नियुक्ति आदेश के अनुसार पदभार ग्रहण करने पर नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवार राज्य शासन के सेवक होंगे तथा ये राज्य-शासन द्वारा शासकीय सेवकों के संबंध में जारी तथा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्ति के उक्त पद पर एवं श्रेणी पर लागू सभी अधिनियम, नियम, आदेश एवं परिपत्र से शासित होंगे एवं इनका पालन करना इनके लिए अनिवार्य होगा। विशेषतः नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएँ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की शर्तें) नियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं इन नियमों के संशोधनों के अध्यधीन होंगी।

7. वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होगा, नियुक्त उम्मीदवारों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की पात्रता होगी। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2.4.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होगा।

8. यदि किसी उम्मीदवार ने राज्य सरकार के किसी अन्य शासकीय विभाग में वर्ष 2005 के पूर्व से सेवारत रहते हुए इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त की है तथा उच्च शिक्षा विभाग की सेवा में वह कार्यभार ग्रहण करता है तो पूर्व विभाग की सेवा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976

के तहत मान्य करने हेतु उसके द्वारा नियमानुसार. आवेदन करने पर शासन स्तर से उक्त नियम के तहत कार्यवाही की जावेगी

9. नियुक्त उम्मीदवार के द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त(5) के अंतर्गत देय रकम उससे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल होगी।

10. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियमानुसार आरक्षित संवर्ग के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि प्रदायकर्ता से कराने पर त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त मान्य होंगी।

11. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक,भोपाल,दिनांक 17.07.2014 के अनुसार नियुक्त नि:शक्तजनों के नि:शक्तता प्रमाण - पत्र का परीक्षण कार्यभार ग्रहण कराये जाने के पूर्व संबंधित जिला मेडीकल बोर्ड से कराया जाये। जांच में 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता पाई जाती है तभी उनको प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जाये, अन्यथा नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2015/आ.प्र./एक,भोपाल,दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक-बधिर श्रेणी के नि:शक्तजनों के लिए बैरा-टेस्ट कराना अनिवार्य है।

12. नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन विभाग द्वारा किया गया है, तथा शासकीय सेवा हेतु आवश्यक शपथ-पत्र लिए गए है। अभ्यर्थियों से वांछित अभिलेखों तथा शपथ-पत्रों की सूची विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध है। पदभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित प्राचार्य उन सभी अभिलेखों की एक सत्यापित प्रति नियुक्त अभ्यर्थी से प्राप्त करेंगे जो उन पर लागू होते है तथा मूल अभिलेखों से मिलान करेंगे सही पाये जाने पर उक्त अभिलेख सेवा - पुस्तिका में संधारित किये जाएँगे । यदि अभिलेखों के आधार पर कोई गंभीर त्रुटि पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य विशेष वाहक के द्वारा वस्तुस्थिति के उल्लेख के साथ पत्र भेजकर शासन से तत्काल समाधान प्राप्त करेंगे तथा समाधान प्राप्त होने पर निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।

13. शासकीय नियमानुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

14. शासकीय या अर्धशासकीय विभाग/निकाय में कार्यरत उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण के समय पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र या धारणाधिकार स्वीकृति का पत्र या त्यागपत्र स्वीकृति का पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार द्वारा इस चयन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने नियोक्ता से ली गई अनुमति का पत्र प्रस्तुत करने पर प्राचार्य द्वारा सशर्त कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा, परन्तु वेतन का आहरण अनिवार्य अभिलेख को प्रस्तुत करने तक लंबित रखा जाएगा।

15. यदि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में चयनित पद एवं स्थान पर नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तथा नियुक्तिकर्ता से कार्यभार ग्रहण करने की अवधि यथोचित कारणों से बढ़ाने की अनुमति भी नहीं प्राप्त की गई तो नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा ।

16. इस आदेश द्वारा नियुक्त सभी उम्मीदवारों की नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका एस.एल.पी. क्रमांक 16353/2022 में दिए जाने वाले अंतरिम आदेशों/अंतिम आदेशों के अध्यधीन रहेगी। माननीय न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यह नियुक्ति आदेश कभी भी संशोधित/निरस्त किया जा सकता है एवं किसी नियुक्त उम्मीदवार की सेवा उपरोक्त कंडिका (5) से मुक्त होकर तत्काल प्रभाव से शासन द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

17. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1)के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है, तथा उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

29-12-22

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक29/12/2022

पृ. क्रमांक एफ 1-79/2019/38/1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल,
6. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.,
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल,
8. संबंधित संभागीय/जिला चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.,
9. संबंधित जिला कोषालय, अधिकारी, म.प्र.,
10. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर लेख है कि संबंधित सहायक प्राध्यापक द्वारा महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभागीय बेवसाईट पर जानकारी अपलोड कराना सुनिश्चित करें,
11. संबंधित...
12. गार्ड फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

29.12.22

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग